

### मानक शर्तें:

1. भूमि हस्तान्तरण के बाद भी उसके उसके वैधानिक स्थल में कोई ग्रिफ्टन नहीं होगा और वह भी पूर्ण की भाँति रक्षित या आरक्षित वन भूमि बनी रहेगी।
2. प्रश्नगत भूमि का उपयोग केवल कठित प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा अन्य प्रयोजन हेतु कदाचित नहीं।
3. याचक विभाग प्रस्तावित भूमि अथवा उसके किसी भी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित नहीं करेगा।
4. भूमि का संयुक्त निरीक्षण करके सुनिश्चित कर लिया गया है कि मौगी गई भूमि न्यूनतम है तथा इसके अतिरिक्त कोई अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है।
5. हस्तान्तरीय विभाग उसके कर्मचारी, अधिकारी अथवा देकेदार वन भूमि को विशी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायेंगे और ऐसा किये जाने पर सम्बन्धित वनाधिकारी द्वारा निरीक्षण मुआवजे के भुगतान उक्त विभाग को करना होगा, जिसके द्वारा विभाग राहगत है।
6. भूमि का सीमांकन याचक विभाग अपने द्वारा से सम्बन्धित प्राप्तिकरी की देखें-ऐसा में करायेगा तथा इस सम्बन्ध में बनाये गये मुारे आदि की भी देखान करेगा।
7. हस्तान्तरण वन भूमि पर वन विभाग के कर्मचारियों को निरीक्षण हेतु जाने पर हस्तान्तरीय विभाग को कोई आपत्ति नहीं होगा।
8. बहुरूप्य वन सम्पदों से आच्छादित एवं वन जड़ों से प्राप्त वन द्वारा का हस्तान्तरण यथासम्भव प्रस्तवित न किया जाय। केवल अपरिवर्त्ती करणों से ही ऐसा किया जाया सम्भव होगा, परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि वन सम्पदों की क्षतिपूर्ति एवं अन्य सम्पदों के स्वच्छन्द विवरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के बाद ही भूमि हस्तान्तरित जायेगी।
9. सिंचाई विभाग / जल निगम द्वारा वन विभाग तक नरसरियों पौधों के एवं वन विभाग के कर्मचारियों की निःशुल्क जल की सुविधा प्राप्ति करायी जायेगी।
10. याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित वन भूमियों का उपयोग अन्य प्रयोजन हेतु करने वाला विभाग संस्था या व्यक्ति अपरिवर्त्ती की हस्तान्तरित करने पर वन भूमि स्वतः विभाग प्रकार के प्रतिकर का भुगतान किये वन विभाग को वापस हो जायेगी। तभी भूमि की आवश्यकता याचक विभाग को न रहने पर भी हस्तान्तरित भूमि तथा उस पर सिंचाई भवन आदि स्वतः विभाग की प्रतिकर का भुगतान किये वन विभाग को वापस नहीं जायेगी।
11. सड़क निर्माण के प्रस्तावों पर एलाईनेंट तथा होते समय शानीय रुद्र पर वन विभाग का परामर्श साठनियों द्वारा प्राप्त किया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में प्रमुख अग्रिमता साठनियों के अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, पर्वो क्षेत्र पौड़ी को सम्बोधित पर्व रम्या तथा रीओ फ्लाइट 10-2-82 में निहित आदेशों का पालन भी साठनियों द्वारा किया जायेगा। कि अशेषमर्त बनाना अथवा वन नार्मों को फेर बदल कर पवका करना याचक विभाग के खद्दे से पर्याप्त न होना और नई सड़क का निर्माण ही आवश्यक है।
12. वन भूमि का मूल्य सम्बन्धित निलाधिकारी द्वारा प्रदत्त मूल्य सम्बन्धित प्रमाण पत्र के अनुचार पर अंकित होना जो याचक विभाग को गान्य होगा।
13. वन भूमि पर खड़े वृक्षों का निस्तारण वन विभाग उठप्रो वन विभाग अथवा और याचक उपयुक्त प्रक्रिया जो वन विभाग उचित समझे द्वारा किया जायेगा। नहीं किसी वपराग वृक्षों का निस्तान्तरण वन विभाग द्वारा समझ न हो सके और उस ए पालन आदेशगत हो तो याचक विभाग द्वारा वृक्षों का वाजाह भाव पर मूल्य देय होगा।
14. हस्तान्तरित भूमि पर बड़े वाले वृक्षों के प्रतिकरार में याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित भूमि के समनुल्य वृक्षोंपरण का भुगतान अथवा समतुल्य गैर वानिकी भूमि सम्बन्ध में होने पर प्रस्तावित भूमि के दुगने गैर वानिकी क्षेत्रफल में वृक्षोंपरण तथा ३ वर्ष तक परिपेक्षण व्यय जो भी वन विभाग द्वारा तथा किया जाय का भुगतान याचक विभाग वन विभाग को करेगा। 1000 मीटर एवं 30 डिग्री रो अधिक ढाल पर खड़े वृक्षों का पालन भी निषिद्ध है, इसी प्रकार बांज़ के पेड़ों पर पातन भी वर्जित है। ऐसा वृक्षों को पातन का निरीक्षण वन संरक्षक स्तर पर ही होगा।

15. वन भूमि के ऊपर से विद्युत लाईन ले जाने में यथासम्मव पेड़ों का कटान नहीं किया जायेगा। या खम्भों को ऊँचा करके इसे सुनिश्चित किया जायेगा। यदि किर भी पेड़ों का कटान अनिवार्य प्रतीत होता है तो न्यूनतम पेड़ों की संख्या संयुक्त राज्य निरीक्षण करके सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा निश्चित की जायेगी, जिस पर संरक्षण का अनुमोदन आवश्यक है।
16. यदि नहर आदि निर्माण में भू-संरक्षण की सम्भावना होती है और नहर की दोनों पट्टीयों को पक्का करना अगर आवश्यक समझा जाता है तो ऐसा याचक विभाग राज्य अपने व्यय से करायेगा।
17. उपरीलिखित मानक शर्तों के अतिरिक्त यदि भारत सरकार अथवा वन विभाग द्वारा किसी विशिष्ट प्रकरण में कोई अन्य शर्त लगाई जाती हैं तो याचक विभाग को मान्य होगी।
18. वन भूमि का वास्तविक हस्तान्तरण तभी किया जाय, जब उच्च शर्तों का पूरा पालन न कर लिया जाय अथवा उनका समुचित स्तर से आश्वासन प्राप्त हो जाय।

प्रमाणित किया जाता है कि वन विभाग उत्तराखण्ड शासन तथा भारत सरकार द्वारा लगाई गई शर्तें याचक विभाग को मान्य हैं।

  
अपरीक्षित दस्तावेज  
अस्थाई रूप, लोनियाँ  
थत्यूड (टिप्पणी)

  
उच्चाक अधिकारी  
उत्तराखण्ड राज्य लोनियाँ  
शत्यूड

  
अधिकारी अधिकारी  
अस्थाई रूप, लोनियाँ  
थत्यूड (ठिहरी अक्षयाली)

(65)

कार्य का नाम :—जनपद टिहरी गढवाल के अन्तर्गत हनुमान मन्दिर से  
स्यालसी गौरण मोटर मार्ग के का नव निर्माण (ल0—3.400)

मानक व शर्त मान्य होने का प्रमाण — पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित  
मानक व शर्तों का पालन किया जायेगा।

सहायक अभियन्ता  
अ0ख0,लो0नि0वि0  
थत्युड  
*लोखो*

अधिशासी अभियन्ता  
अ0ख0,लो0नि0वि0  
थत्युड  
*कृष्ण*